इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2023—फाल्गुन 5, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्रमांक —जीएडी/37/0005/23/1/9–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी सेवा (राजंपत्रित) भर्ती नियम, 1997(संशोधित दिनांक 19 जून 2014) मे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में -

1. विद्यमान अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची-दो प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात -

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)
भरती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भर्ती का तरीका एवं पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रशासन अकादमी	1. महानिदेशक	1	भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य की पदस्थापना द्वारा
	2. संचालक	1	भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य की पदस्थापना द्वारा
	3. प्राध्यापक, लोकनीति	1	मध्यप्रदेश के समस्त विभागों की सेवाएँ एवं शासकीय नियंत्रित विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों (फैकल्टी) की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो लोकनीति/ सामाजिक अर्थशास्त्र/अर्थशास्त्र/विकास अर्थशास्त्र मे स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों एवं जो शिक्षण/प्रशिक्षण/पीएचडी या उच्च स्तर शोध के प्रकाशन कार्य मे 10 वर्षो का अनुभव रखते हों। अथवा उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अन्य पात्र लोगों की संविदा नियुक्ति द्वारा ।

	4. प्राध्यापक, विधि	1	मध्यप्रदेश के समस्त विभागों की सेवाऐं एवं शासकीय नियंत्रित विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों (फैकल्टी) की प्रतिनियुक्ति द्वारा जो विधि मे स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हो तथा न्यायिक कार्य, विधि महाविद्यालय मे अध्यापन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हों। अथवा उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अन्य पात्र लोगों की संविदा नियुक्ति द्वारा ।
	5. प्राध्यापक, व्यवहार विज्ञान	1	मध्यप्रदेश के समस्त विभागों की सेवाऐं एवं शासकीय नियंत्रित विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों (फैकल्टी) की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो बिहेवियरल सांईस या मनोविज्ञान या मानव संसाधन विकास (हयूमन रिसोर्स डेब्लपमेंट) विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों एवं जो शिक्षण/प्रशिक्षण/पीएचडी या उच्च श्रेणी के शोध/प्रकाशन कार्य में 10 वर्षों का अनुभव रखते हों । अथवा उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अन्य पात्र लोगों की संविदा नियुक्ति द्वारा ।
	6. प्राध्यापक, लोक प्रशासन	1	मध्यप्रदेश के समस्त विभागों की सेवाऐं एवं शासकीय नियंत्रित विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों (फैकल्टी) की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो लोक प्रशासन, प्रबन्धन, समाज शास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र मे स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों तथा जो शिक्षण/प्रशिक्षण/पीएचडी या उच्च स्तर शोध के प्रकाशन कार्य मे 10 वर्षो का अनुभव रखते हों। अथवा उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अन्य पात्र लोगों की संविदा नियुक्ति द्वारा ।
	7. प्राध्यापक, वित्त	1	मध्यप्रदेश के समस्त विभागों की सेवाऐं एवं शासकीय नियंत्रित विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों (फैकल्टी) की प्रतिनियुक्ति द्वारा जो एम.बी.ए. अथवा एम.पी.ए. अथवा एम.कॉम (अर्थशास्त्र या प्रबन्धन) में उपाधि के साथ शिक्षण एवं वित्त प्रबन्धन का 10 वर्ष का अनुभव रखते हों। अथवा उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अन्य पात्र लोगों की संविदा नियुक्ति द्वारा ।

	8. रीडर, अर्थशास्त्र	1	मध्यप्रदेश के समस्त विभागों की सेवाऐं एवं शासकीय नियंत्रित विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों (फैकल्टी) की प्रतिनियुक्ति द्वारा जो अर्थशास्त्र मे स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों एवं जो शिक्षण/प्रशिक्षण/पीएचडी या उच्च श्रेणी के शोध/प्रकाशन कार्य में 5 वर्षो का अनुभव रखते हों अथवा उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अन्य पात्र लोगों की संविदा नियुक्ति द्वारा ।
	9. रीडर, लोक प्रशासन	1	मध्यप्रदेश के समस्त विभागों की सेवाऐं एवं शासकीय नियंत्रित विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों (फैकल्टी) की प्रतिनियुक्ति द्वारा जो लोक प्रशासन, प्रबन्धन, समाज शास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र मे स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों एवं जो शिक्षण/प्रशिक्षण/पी.एच.डी. अथवा उच्च स्तरीय शोध/प्रकाशन कार्य मे 5 वर्ष का अनुभव रखते हों। अथवा उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अन्य पात्र लोगों की संविदा नियुक्ति द्वारा ।
	10. /रीडर, वित्तीय प्रबन्धन	1	मध्यप्रदेश के समस्त विभागों की सेवाऐं एवं शासकीय नियंत्रित विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों (फैकल्टी) की प्रतिनियुक्ति द्वारा जो एम.बी.ए. अथवा एम.पी.ए. अथवा एम.कॉम. अथवा एम.ए. (अर्थशास्त्र या प्रबन्धन) में उपाधि के साथ शिक्षण/प्रशिक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखते हों अथवा वित्त प्रबन्धन कार्य का अनुभव रखते हों। अथवा उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अन्य पात्र लोगों की संविदा नियुक्ति द्वारा।
	11. अधीक्षण यंत्री	1	जल संसाधन विभाग द्वारा अभियांत्रिकी की किसी शाखा में उपाधि धारक की प्रतिनियुक्ति से।
	12. संयुक्त संचालक (प्रशि.)	1	मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा के सदस्य की पदस्थापना द्वारा।
	13. उप संचालक (प्रशासन)	1	मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा के सदस्य की पदस्थापना द्वारा।
	14. उप संचालक (लेखा)	1	मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के सदस्य की पदस्थापना द्वारा।
	15. कार्यपालन यंत्री	1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग या जल संसाधन विभाग या लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) से अभियांत्रिकी की किसी शाखा में उपाधि धारक की प्रतिनियुक्ति से ।

	17. सिस्टम एनालिस्ट / व्याख्याता कम्प्यूटर सांईस	1	प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति से संविदा आधार पर जो कम्प्यूटर सांईस/इलेक्ट्रानिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों, तथा कम्प्यूटर भाषा का ज्ञान रखते हों।
	18. सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र	1	प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति से संविदा आधार पर जो समाज शास्त्र अथवा सामाजिक एन्थ्रोपोलोजी मे स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों तथा शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य मे 3 वर्षो का अनुभव रखते हों।
	19. सहायक प्राध्यापक, लोक प्रशासन	1	प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति से संविदा आधार पर जो लोक प्रशासन, प्रबन्धन, समाज शास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र मे स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों तथा शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य में 3 वर्षो का अनुभव रखते हों।
	20. सहायक संचालक (लेखा)	1	मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के सदस्य की पदस्थापना द्वारा।
	21. स्टूडियो इंजीनियर	1	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना एवं प्रौद्योगिकी अथवा इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन मे बी.टेक./बी.ई. के साथ उक्त क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव रखने वाले अभ्यार्थी की संविदा नियुक्ति द्वारा।
	22. प्रशासकीय अधिकारी	1	अधीक्षक के पद से पदोन्नति द्वारा।

टीप:- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अनुमोदन तथा संबंधित अधिकारी एवं उनके मूल विभाग की सहमति से अकादमी की सेवा में स्थाई रूप से संविलित किया जा सकेगा।

No. -GAD/37/0005/23/1/9-- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Academy of Administration Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1997 (Amendment Date 19 June 2014), Namely:-

In the Said rules, -

1. For the existing schedule II the following schedule shall be substituted namely

SHEDULE II

(See Rule 6)

METHOD OF RECRUITMENT

Name of the Department	**Name of Service**	**Total No. of Posts**	**Mode of Recruitment and Eligibility**
Academy of Administration	1. Director General	1	By posting of a Member of the Indian Administrative Service.
	2. Director	1	By posting of a Member of the Indian Administrative Service.
	3. Professor Public Policy	1	On deputation of Subject Experts (Faculty) from service of a Government department or a Government controlled University having Post Graduate Degree in Public Policy/ Social Economics/Economics/Development Economics and having 10 year's experience of Teaching/Training/Ph.D. or high-level Research/Published work. Or By contractual appointment of other eligible candidate who possess above qualifications and experience.

Name of the Department	Name of Service	Total No. of Posts	Mode of Recruitment and Eligibility
	4. Professor Law	1	On deputation of Subject Experts (Faculty) from services of a Government department or a Government controlled University having Post Graduate Degree in Law and having 10 years' experience of Legal work, Teaching/Training in Law college. Or By contractual appointment of other eligible candidate who possess above qualifications and experience.
	5. Professor Behavioral Science	1	On deputation of Subject Experts (Faculty) from service of a Government department or a Government controlled University having Post Graduate Degree in Behavioral Science or Psychology or Human Resource Development and having 10 years' experience of Teaching/Training/Ph.D. or high-level Research/Published work. Or By contractual appointment of eligible candidate who possess above qualifications and experience.
	6. Professor Public Administration	1	On deputation of Subject Experts (Faculty) from service of a Govt. department or a Govt. controlled University having Post Graduate Degree in Public Administration, Management, Sociology or Political Science and having 10 years' experience of Teaching/Training/Ph.D. or high-level Research/Published work. Or By contractual appointment of eligible candidate who possess above qualifications and experience.
	7. Professor Finance	1	On deputation of Subject Experts (Faculty) from service of a Govt. department or a Govt. controlled University having Post Graduate Degree in M.B.A. or M.P.A. or M.com

Name of the Department	Name of Service	Total No. of Posts	Mode of Recruitment and Eligibility
			(Economics or Management) and having 10 years' experience of Teaching/Training and financial management. Or By contractual appointment of eligible candidate who possess above qualifications and experience.
	8. Reader Economics	1	On deputation of Subject Experts (Faculty) from service of a Govt. department or a Govt. controlled University having Post Graduate Degree in Economics and having 10 years' experience of Teaching/Training/Ph.D. or high-level Research/Published work. Or By contractual appointment of eligible candidate who possess above qualifications and experience.
	9. Reader Public Administration	1	On deputation of Subject Experts (Faculty) from service of a Govt. department or a Govt. controlled University having Post Graduate Degree in Public Administration, Management, Sociology or Political Science and having 5 years' experience of Teaching/Training/Ph.D. or high-level Research/Published work. Or By contractual appointment of eligible candidate whopossess above qualifications and experience.

Name of the Department	Name of Service	Total No. of Posts	Mode of Recruitment and Eligibility
	10. Reader Finance Management	1	On deputation From the Madhya Pradesh Finance & Accounts Services or from Finance Institutes/Management Institute (on Deputation) of persons having degree in M.B.A. or M.P.A. or M.com or M.A. (Economics or Management) with a Teaching/Training Experience of a minimum of 5 years' experience of Finance Management work. Or By contractual appointment of eligible candidate who possess above qualifications and experience.
	11. Superintending Engineer	1	By deputation from Water Resources Department.
	12. Joint Director Training	1	By posting of a member of M.P. Civil Service.
	13. Deputy Director Administration	1	By posting of a member of M.P. Civil Service.
	14. Deputy Director Accounts	1	By posting of a member of Madhya Pradesh Finance & Accounts Service.
	15. Executive Engineer	1	By Deputation from Public Health Engineering Department or Water Resources Department or Public works Department or Rural Engineering Service (Panchayat and Rural Development Department).
	16. Executive Engineer	1	By deputation from Water Resources Department.
	17.System Analyst / Lecturer Computer Science	1	By deputation or Contract appointment of a person having Post Graduation Degree in Computer Science/ Electronics. Knowledge of Computer Languages.
	18. Assistant Professor Sociology	1	By deputation or Contract appointment of a person having Post Graduation Degree in Sociology or Social Anthropology and a minimum of 3 Years' experience of Teaching/Training work.

Name of the Department	Name of Service	Total No. of Posts	Mode of Recruitment and Eligibility
	19. Assistant Professor Public Administration	1	By deputation or Contract appointment of a person having Post Graduation Degree in Public Administration, Management, Sociology or Political Science and a minimum of 3 years' experience of Teaching/Training work.
	20. Assistant Director Account	1	Members of Madhya Pradesh Finance& Accounts Service.
	21. Studio Engineer	1	On contract basis of candidates who possess B.Tech/B.E. Degree in Information and Technology or Electronics and Telecommunication and 5 years experience in the related field.
	22. Administrative Officer	1	Promotion from Academy Superintendent

Note- Officers appointed on deputation shall be absorbed permanently in the service of Academy on the approval of B.O.G. and consent of the related officer and his parent department after the completion of a minimum of 3 years service.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.